अध्याय-19

आयोग की अनुशंसायें

आयोग ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अनुशंसाओं का विस्तृत विवेचन आयोग की रिपोर्ट के उन अध्यायों में किया है जिनमें पिछड़े वर्ग की समस्याओं व उनके सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक शिक्षा विषयक पिछड़ेपन की चर्चा की है तथा शासकीय नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व की समीक्षा की है।

आयोग उन्हें इस अध्याय में संकलित कर पुनः उल्लिखित कर रहा है जो निम्न प्रकार हैं:-

(1) शैक्षणिक उत्थान हेतु अनुशंसायें

1. अध्याय 13 के अन्तर्गत उल्लेखित पिछड़ी जातियों की सूची को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाय।

2. राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं विशेषकर चिकित्सा महाविद्यालयों, यांत्रिकी महाविद्यालयों, पोलिटेक्नि संस्थानों, आई.टी.आई. टेक्नीकल स्कूलों, कृषि महाविद्यालयों, व विधि महाविद्यालयों जैसे सभी व्यवसायिक तकनीकी, व वैज्ञानिक शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रवेश हेतु 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें।

3. राज्य शासन द्वारा संचालित एवं राज्य निधि से सहायता प्राप्त ऐसी समस्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें सीमित स्थान हों पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें।

4. विधि महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समान छूट

राज्य के बाहर या विदेश जाते हैं राज्य शासन उनको भी विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करे।

12. शासन द्वारा संचालित छात्रावासों में पिछड़े वर्ग के छात्रों को 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जायें, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पृथक से ही छात्रावास स्थापित करने की व्यवस्था की जाय। यह व्यवस्था होने तक शासन द्वारा संचालित छात्रावासों में 35% स्थान आरक्षित किये जावे।

13. छात्रावासों में रहने वाले पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास बिजली सफाई आदि की व्यवस्था की जाय।

14 व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये आमंत्रित प्रतियोगी परीक्षा में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी सफल हो सकें इसके लिए शासन विशेष प्रशिक्षण (कोचिंग) की व्यवस्था करे।

15. पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें इसके लिए उन्हें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय।

16. पिछड़े वर्ग की अधिक घनत्व वाली आबादी के क्षेत्र में नर्सरी, मान्टेसरी स्कूल खोले जायें जिनमें निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाय।

17. पिछड़े वर्ग में शिक्षा का अच्छा वातावरण बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर बल दिया जाय।

18. पिछड़े वर्गों को शैक्षिक विकास के लिए अन्य वह समस्त सुविधायें प्रदान की जायें जो शासन अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को प्रदान करता है।

19. उन क्षेत्रों में जहाँ पिछड़े वर्ग की आबादी अधिक हो, पढ़ाई के लिए विशेष

प्रेरणादायक वातावरण बनाने के लिए व आवासीय स्कूलों की स्थापना की जाय।

(2) नौकरियों में आरक्षण हेतु अनुशंसायें

1- पिछड़े वर्गों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण (48.08 प्रतिशत) आपेक्षित है। आयोग संविधान के सभी पहलुओं, न्यायालयों के निर्णयों व तमिलनाडु आदि राज्यों के उदाहरण को ध्यान में रखकर समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, व सार्वजनिक संस्थानों की नौकरियों में पिछड़े वर्ग की 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश करता है।

2- उपरोक्त अनुपात में पिछड़े वर्गों की आरक्षण, नियुक्ति, पदोन्नति कोटा एंव चयन पदों के कोटे में भी लागू किया जाय।

3- खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर सफल हुए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित कोटा में समायोजित नहीं किया जावे। अर्थात योग्यता के आधार पर सफल पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षित कोटा में नहीं माना जावें।

4- किन्ही कारणों से पिछड़े वर्गों की निर्धारित आरक्षण कोटा न भरा जा सके तो, उसे 3 साल की अवधि तक सुरक्षित रखा जावे उस अवधि के पश्चात अनारक्षित किया जावे।

5- सीधी भरती के लिए पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाय।

6- पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए सवंधित प्राधिकारियों द्वारा, उसी प्रकार रोस्टर प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, जिस प्रकार से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में अपनाई जाती है।

7- शासन आरक्षण की योजना मध्यप्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन सभी निगमों, आयोगों व अन्य स्थापनाओं, सहकारी व भूमि विकास बैंकों, सहकारी समितियों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं आदि स्वशासकी संस्थाओं में भी लागू की जाय। मध्यप्रदेश में स्थापित निजी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों व कार्यालयों में आरक्षण की योजना को कड़ाई से लागू करावे।

8. शासन से किसी भी रूप में सहायता प्राप्त कर रहे निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में कर्मियों की भरती व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करावे तथा सभी विश्वविद्यालयों, विद्यालयों व कालेजों में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की योजना लागू करें।

9. पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को लाभान्वित करने व उन्हें संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार आरक्षण की सुविधायें सभी विभागों में प्रभावशील बनाने के लिए शासन संविधान के अनुच्छेद 320(4) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नियम व विधान बनाये।

10. संविधान के अनुच्छेद 309 के अंन्तर्गत शासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में तथा भरती के संबंध में कानून बनाकर पिछड़े वर्गों के हितों का संरक्षण व आरक्षण प्रदान करे।

11. पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें अतः नौकरियों के चयन, भरती व साक्षात्कार की तैयारी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण हेतू प्रशिक्षण केन्द्र शासन प्रारंभ करे।

12. विश्वविद्यालयों में विशेषज्ञ पदों के प्रशिक्षण के लिए पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को विशेष सुविधायें दी जायें ताकि वे प्रतियोगिता में सफल हो सकें।

13. शासन लोक सेवा आयोग तथा अन्य निम्नोक्त संगठनों में पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करे ताकि उनके हितों का संरक्षण हो सके।

(3) पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास हेतु अनुशंसायें

1 पिछड़े वर्गों के लोगों का मुख्य कृषि, पशुपालन, दस्तकारी या शिल्पकारी अथवा परम्परागत जातीय पेशे हैं जिनके उत्थान के लिए शासन पृथक से पिछड़ा वर्ग विकास निगम की स्थापना करके उनके पारम्परिक व्यवसाय व धंधों को विकसित करने की कार्यवाही करे।

2. पिछड़ा वर्ग विकास निगम पिछड़े वर्ग की शिल्पकार तथा दस्तकार जातियों को जातिय पेशों (ग्रामीण कुटीर उद्योग) को विकसित करें अर्थात उन्हें---

(क) सुविधाजनक ऋण या पूँजी उपलब्ध करावे, तथा अनुदान दे

(ख) कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहयोग करें,

(ग) उनके द्वारा उत्पादित माल के विक्रय की व्यवस्था करें व अनुदान दें।

(घ) मिल व कारखानों की हानिकारक प्रतियोगिता से उनकी रक्षा करें,

(ड़) नई तकनीकी की ट्रेनिंग व जानकारी की व्यवस्था करें।

3. कृषि के विकास के लिए उत्तम खाद, बीज, सिंचाई के साधन विपणन की उचित व्यवस्था, नये किस्म के कृषि यंत्र, सुविधाजनक ऋण पिछड़े वर्ग को उपलब्ध कराया जावे इस विषय में भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, व अन्य एजेन्सियों को शासन अधिक गतिशील बनावे।

4. पशुपालन में लगे पिछड़े वर्ग के लोगों को उत्तम पशु खरीदने के लिए आसान किश्तों एवं साधारण ब्याज दर पर ऋण व अनुदान दिया जाय। पशु विकास के लिये नस्ल सुधार, उत्तम चारा घास व औषधियों की व्यवस्था व पशु बीमा प्रारंभ किया जाय।

5. मछली पालन उद्योग में मछुआ जाति के लोगों को तालाब व जलाशयों के

पट्टे दिये जायें, उनके परम्परागत व्यवसाय की दक्षता से इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक से अधिक सहयोग व सहायता प्रदान की जावे ताकि वे उत्तम उपकरण क्रय कर सकें और मछुआरों की सहकारी समितियाँ गठित करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाकर उनके सहयोग से इस व्यवसाय को बढ़ाया जावे। अन्य उपकरण व जाल आदि बुनने के लिए वित्तीय सहायता दी जावे।

6. भेड़, बकरी पालन में संलग्न जातियों को शासन के सहयोग से वित्तीय सहायता पशु चराने की अनुकूल स्थितियाँ पैदा कर व भेड़ नश्ल सुधार करके व्यवसाय में विकसित किया जा सकता है इसके लिए सहकारी समितियाँ गठित करने हेतु प्रोत्साहित करके व ऋण व अनुदान की सुविधा देकर उन उद्योगों को बढ़ाया जाय।

7. शहरों के विकास से जिन पिछड़े वर्ग के समाजों के परंपरागत व्यवसायों को नुकसान पहुँचा है या जिन्हें शहर सीमा से हटाया जाता है शासन उन्हें दूसरे व्यवसाय में लगाने के लिए व्यवस्था करे।

8. नगरनिगम, नगरपालिकाओं, विकास प्राधिकरणों व विधि के अधीन गठित अन्य शासकीय एजेन्सियों व्दारा तथा ग्राम पंचायतों व्दारा बाजारों को विकसित किया जाता है नवविकसित बाजारों निर्मित दुकानों को पिछड़े वर्गों को पट्टे पर न देकर नीलामी द्वारा या पैसे वालों को अनुबंधित कर दुकानें दे देते हैं शासन उक्त प्रकार निर्मित दुकानों का आवंटन में पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्था करे।

9. शासन धोबी समाज के लिए पृथक धोबी खाना बनवाये व उन्हें लांडरियाँ खोलने के लिए ऋण व अनुदान दे।

10. शासन नाई समाज के बेरोजगार लोगों को जो इस व्यवसाय को करना चाहें दूकान लगाने हेतु पूरा सामान या उतना धन अनुदान के रूप में प्रदान करे।

11. भूमि व्यवस्था कानून में संशोधन कर पिछड़े वर्ग के भूमिहीन लोगों को कृषि

भूमि आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करें।

12. शासन घुमक्कड़ पिछड़ी जातियों के विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देकर बसाय उन्हें रोजगार की व्यवस्था हेतु सहायता प्रदान करे।

13. भिक्षावृत्ति में संलग्न पिछड़े वर्ग की जातियों को रोजगार व आवास उपलब्ध कराकर इस वृत्ति से मुक्ति दिलाई जाये।

14. पिछड़े वर्ग के आवासहीन लोगों को शहरी व ग्रामीण अंचलों में आवास उपलब्ध **कराये** जावे।

15. शासन संविधान के अनुच्छेद 39 के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक साधनों की व्यवस्था सर्व साधारण के हित के लिए धन व उत्पादन का साधन वितरण करके करे।

(4) सामान्य सिफारिशें

1. आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर शासन द्वारा स्थापित पिछड़ा वर्ग संचालनालय की स्थापना की गई है। आयोग पिछड़े वर्ग उत्थान के कार्यक्रम में अधिक व विशेष ध्यान देने के लिए गठित संचालनालय का विस्तार जिला स्तर तक करने की सिफारिश करता है।

2. मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत घोषित जातियाँ कुछ क्षेत्र में अनुसूचित जाति मानी जाती हैं जैसे धोबी, पनिका, **कुम्हार** आदि। शेष क्षेत्रों में वे सामान्य जाति मानी जाती हैं अतः शासन उन्हें पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति या जनजाति में घोषित कराने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव करे।

3. जाति प्रथा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त सामाजिक भेदभाव व अन्याय आदि बुराइयाँ मिटाने हेतु प्रचार माध्यमों को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सक्रिय किया जाय इस बारे में सभायें सम्मेलन व सहभोज आयोजित किये जायें।

4. पिछड़े वर्ग को दी जाने वाली सुविधाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान देने हेतु व समय-समय पर उसकी समीक्षा के लिए स्थायी पिछड़ा वर्ग सलाहकार मण्डल की स्थापना की जाय।

5. आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किये गये कार्यों की समूची योजना की 30 वर्ष बाद समीक्षा की जावे।